न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010009432014

Ca/19/2014

रामेश्वर उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र काली प्रसाद साकिन–बसडिलिया, तप्पा–थरौली, परगना व तहसील नौगढ़, जिला सिद्धार्थनगर।

––वादी/अपीलार्थी

बनाम

1. परमेश्वर (दौरान मुकदमा मृतक) पुत्र सीताराम

1/1– श्रीमती नैनमती मृतक उम्र लगभग 68 वर्ष पत्नी परमेश्वर

2. कपिलेश्वर बालिग पुत्र सीताराम

3. मृतक चिन्तामणि बालिग पुत्र परमेश्वरजिला– सिद्धार्थनगर।

3/1– श्रीमती कुसुम कुमारी पत्नी स्व० चिन्तामणि

3/2– सत्येन्द्र कुमार पुत्र स्व० चिन्तामणि

3/3– श्रीमती भावना चौबे पत्नी सत्येन्द्र कुमार

4. सूर्यनरायन बालिक पुत्र परमेश्वर

साकिनान बसडिलिया, तप्पा–थरौली, परगना व तहसील नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

––रेस्पाण्डेंट्स प्रथम पक्ष

5. अकबर अली मृतक बालिग पुत्र सिद्दीकी साकिन–दुमदुमवा तप्पा–थरौली, परगना व तहसील–नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

5/1– शमी मोहम्मद बालिग

5/2– शफीक बालिग

5/3– रफीक उर्फ चतुरे बालिग

पुत्रगण अकबर अली

5/3/1– शाहजहां पत्नी रफीक उर्फ धतूरे

5/3/2– जमीन पुत्र रफीक उर्फ धतूरे

5/3/3– जमाल पुत्र रफीक उर्फ धतूरे

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.30 16:50:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5/4– शाहिद अली बालिग

5/5– सादिक अली बालिग

5/6– जाहिद अली

पुत्रगण रईश

5/7– श्रीमती शबनम

5/8– श्रीमती वैतुन्निशा

पत्नीगण रईश

–––रेस्पाण्डेंट्स द्वितीय पक्ष

6. वेदप्रकाश बालिग पुत्र विजय कुमार श्रीवास्तव साकिन जगदीशपुर खुर्द तप्पा थरौली, परगना व तहसील नौगढ़, जिला–सिद्धार्थनगर।

7. विजय लक्ष्मी बालिग पत्नी वेद प्रकाश

निवासीगण ग्राम कनरा तप्पा अरहटा परगना करही पूरब तहसील बांसी जनपद–सिद्धार्थनगर।

8. परमानन्द श्रीवास्तव बालिग पुत्र काशी प्रसाद श्रीवास्तव साकिन–तिघरा तप्पा–करही पर०–रसूलपुर, तह०–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर।

9. राधेश्याम मिश्र बालिग पुत्र उमाशंकर मिश्र साकिन–बर्डपुर नं०–13 टोला–मोतीपुर, तप्पा–घोष, परगना व तहसील–नौगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर।

–––रेस्पाण्डेंट्स तृतीय पक्ष

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत अपील, मूल वाद सं०–51/1984 रामेश्वर बनाम परमेश्वर आदि में न्यायालय सिविल जज(सी०डि०) सिद्धार्थनगर द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांकित–30.08.2014 के विरुद्ध अपीलार्थीगण उपरोक्त के द्वारा संस्थित की गयी है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में यह आधार लिया गया है कि फैसला अदालत मातहत खिलाफ कानून व खिलाफ तथ्य है जो निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध वादी/अपीलांण्ट के सबूत की व्याख्या सम्यक ढंग से नहीं किये हैं। प्रस्तुत अपील में जो अधिकार चिन्तामणि को था वहीं अधिकार श्रीमती कुसुम कुमारी, सत्येन्द्र कुमार व श्रीमती भावना चौबे कानूनी वारिस है इसलिए उन्हें भी प्राप्त है। रेस्पाण्डेंट्स नं०–5 मृतक अकबर अली व मृतक रईश को जो अधिकार अपील में मुकदमा लड़ने को प्राप्त था वहीं अधिकार उनके वारिसान को प्राप्त है। तथाकथित वसीयतनामा दिनांकित–24.04.80 प्रतिवादीगण 3 एवं 4 द्वारा दाखिल नहीं किया गया है और न तथाकथित वसीयतनामा प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध किया गया है और न किसी गवाह का बयान

हुआ है जिसके बावजूद अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर नहीं परमाया है एवं सरसरी तौर पर वाद बिन्दु सं०–1 अपीलाण्ट/वादी के खिलाफ निर्णीत किया गया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। तथाकथित बैनामा दिनांकित–07.11.77 रेस्पाण्डेण्ट द्वारा गवाहान से सिद्ध नहीं कराया गया है एवं दस्तावेज से संबंधित किसी भी गवाहा का बयान नहीं कराया गया है। उसके बावजूद अदालत मातहत ने मात्र पंजीकृत दस्तावेज कहकर वाद बिन्दु सं०–2 वादी/अपीलाण्ट के खिलाफ निर्णीत किया गया है एवं रेस्पाण्डेन्ट द्वारा कोई भी हासिया गवाह का बयान नहीं कराया गया है। वादी/अपीलाण्ट ने स्वतंत्र साक्षियों का बयान कराया है। इसके विपरीत रेस्पाण्डेंट के तरफ से कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है।

3. अदालत मातहत ने तथाकथित बैनामा एवं वसीयतनामा मात्र इस आधार पर स्वीकार किया है कि वादी/अपीलाण्ट ने कोई एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं कराया है। जबकि तथाकथित वसीयतनामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक्सपर्ट ओपीनियन कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रतिवादी/रेस्पाण्डेन्ट ने सारा साक्ष्य पक्षगण का समाप्त होने के बाद पत्रावली बहस में चल रही थी, तब रेस्पाण्डेन्ट द्वारा तथाकथित बैनामा दाखिल किया गया। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट द्वारा तथाकथित बैनामा का एक्सपर्ट ओपीनियन कराने की बात अदालत मातहत का दृष्टिकोण अपने आप मिथ्या सिद्ध हो जाता है। रेवन्यू न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर कराया गया। तहसीलदार का आदेश एस०डी०ओ० नौगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया है एवं आयुक्त महोदय बस्ती ने भी रेस्पाण्डेन्ट की निगरानी खारिज हो गयी। जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध है, लेकिन अदालत मातहत ने इस पर गौर नहीं फरमाया है, बल्कि सरसरी तौर पर दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज कर दिया गया। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने वादी/अपीलाण्ट के अभिलेखीय साक्ष्य व सबूत सहादत पर ध्यान न देकर एवं सम्यक व्याख्या भी नहीं किया गया। आदेश/डिक्री अदालत मातहत हर तरह से निरस्त होने योग्य है।

4. अपीलार्थी की ओर से दस्तावेजी सूची–8ग1 के माध्यम से आदेश दिनांकित–30.08.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रतिलिपि डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी हैं, दस्तावेजी सूची दिनांकित–22.03.2023 के माध्यम से रजिस्ट्री रसीद दाखिल की गयी है। सूची सबूत 88ग1 के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिनांकित–16.03.23 की प्रमाणित प्रति एवं नकल टेंडर रशीद की मूल प्रति दाखिल किया गया है। सूची सबूत दिनांकित–16.12.2023 के माध्यम से रजिस्ट्री रशीद दाखिल की गयी है।

5. विपक्षी की ओर से दस्तावेजी सूची–68ग1 के माध्यम से एक किता नकल खतौनी गाटा सं०–137, 144 साकिन–डुमडुमवा, तप्पा थरौली, परगना व तहसील नौगढ़, सिद्धार्थनगर

दाखिल की गयी हैं। सूची सबूत 93 ग 1 के माध्यम से एक किता नकल खतौनी दाखिल किया गया है। सूची सबूत का०सं०–60 ग 1 दिनांकित–03.11.2020 के माध्यम से नकल आदेश नायब तहसीलदार नौगढ़, सिद्धार्थनगर, दिनांकित–18.03.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल किया गया है। सूची सबूत दिनांकित–27.01.2026 के माध्यम से वाद पत्र की प्रति रामेश्वर बनाम नैनमती आदि मूल वाद सं०–216/2013, वादोत्तर की प्रति रामेश्वर बनाम नैनमती आदि मूल वाद सं०–216/2013 एवं आदेश की प्रति रामेश्वर बनाम नैनमती आदि मूल वाद सं०–216/2013 दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्था दाखिल की गयी हैं।

1. बराती लाल एवं अन्य बनाम नत्थू [2008 प्र०नि० प्र० 13 (सिविल)] इलाहाबाद उच्च न्यायालय.

2. नागेन्द्र पाल सिंह बनाम भद्रपाल सिंह [2015 प्र०नि० प्र० 347 (सिविल)] इलाहाबाद उच्च न्यायालय.

3. स्टेट आफ यू०पी० बनाम बैजनाथ [2016 पी०एन०पी० (सि०) 56 (इला०)] इलाहाबाद उच्च न्यायालय.

4. श्री सिद्धराजा मनिका प्रभु मंदिर बनाम आईडल ऑफ अरुलमिघु कामुकला कामेश्वर मन्दिर [2025(2) पी०एन०पी० 956 (एस०सी०)] उच्चतम न्यायालय.

6. संबंधित मूल वाद संख्या–51/1984 के निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये थे।

1. क्या विवादित वसीयतनामा दिनांकित–24.04.80 वाद पत्र की धारा–8 में वर्णित आधारों पर मंसूख किए जाने योग्य है?

2. क्या विवादित बैनामा दिनांकित 7.11.77 वादपत्र की धारा–10 में वर्णित आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है?

3. क्या दावा वादी काल बाधित है?

4. क्या वाद अल्पमूल्यांकित तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

5. क्या दावा वादी विवन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है?

6. क्या वादी को दावा दाखिल करने का वाद हेतुक प्राप्त नहीं है?

7. अन्य अनुतोष जो वादी पाने का अधिकारी है?

8. क्या प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाये जाने का दोष है?

7. उभय पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि–

(i)– विपक्षीगण द्वारा कराया गया बैनामा दिनांकित 07.11.1977 फर्जी है एवं बिना

प्रतिफल के है, इसी कारण लंबे समय तक उसका दाखिल खारिज नहीं कराया गया।

(ii)– दिनांक–24.04.1980 को फर्जी अपंजीकृत वसीयत तैयार की गयी जिसकी पुष्टि नहीं हुई है।

(iii)– बैनामे के समय क्रेता का अवयस्क होना यह दर्शित करता है कि दूषित मंशा से बैनामा कराया गया।

(iv)– अपंजीकृत वसीयत को भी मूल रूप में न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण उस पर किये जाने वाले हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की कोई जांच नहीं की जा सकती है, न ही अपंजीकृत वसीयत को न्यायालय में साबित किया गया है। अतः बैनामा तथा अपंजीकृत वसीयत दोनों को निरस्त किया जाए।

9. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि–

(i)– बैनामा दिनांक–07.11.77 का दाखिल खारिज बैनामाकर्ता के जीवनकाल में ही कराया गया।

(ii)– वसीयत की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है जिससे हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की जांच करायी जा सकती थी।

(iii)– अपीलार्थी ने वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर होने के साथ–साथ यह भी कहा कि यदि उस पर हस्ताक्षर सही भी हो तो उसे गलत प्रभाव में लगाया गया है जिससे भी अपीलार्थी का कथन विरोधाभासी हो गया है।

(iv)– वादी का दावा काल बाधित भी है उसको बैनामे और वसीयत दोनों की जानकारी पूर्व से ही थी। इस कारण अपील निरस्त की जाए।

10. उभय पक्ष के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के तहत निम्नलिखित विवाद्यक बिन्दुओं पर निष्कर्ष आना आवश्यक है।

1– क्या पंजीकृत बैनामा दिनांक–7.11.77 के आधार पर विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन नहीं किया है ?

2– क्या अपंजीकृत वसीयत दिनांक–24.04.1980 एक संदिग्ध दस्तावेज है जिसे विचारण न्यायालय ने अनुचित रूप से स्वीकार किया है ?

3– क्या पंजीकृत बैनामा और अपंजीकृत वसीयत के संबंध में प्रस्तुत किया गया वाद काल बाधित होने के कारण अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ?

11. उपरोक्त विवाद्यक बिन्दुओं के निस्तारण के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने इस वाद को निस्तारित करने के लिए आठ वाद बिन्दुओं का विरचन किया जिसमें वाद बिन्दु सं०–1 में विवादित वसीयतनामा दिनांक–24.04.1980 को इस आधार

पर सही मानते हुए वादी के विरुद्ध निर्णीत किया कि वादी का स्वयं का कथन वसीयत के संबंध में विरोधाभासी है। उसने एक ओर तो वसीयत पर मृतक हरीशचन्द्र के हस्ताक्षर होने से इंकार किया है, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा है कि यदि कोई हस्ताक्षर साबित भी हो तो वे हरिश्चन्द्र की अनभिज्ञता में अथवा उन्हें धोखा देकर प्राप्त किया है। यह भी उल्लिखित किया कि वसीयत पर हस्ताक्षर के संबंध में किसी विशेषज्ञ साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया और न ही मूल वसीयत को पत्रावली पर लाने का कोई प्रयास किया गया।

12. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि महावीर के तीन पुत्र हरिश्चन्द्र, सीताराम और काली प्रसाद थे। वादी काली प्रसाद का पुत्र है, जबकि सीताराम के परमेश्वर व कपीलेश्वर दो पुत्र हुए तथा परमेश्वर के दो पुत्र चिंतामणि व सूर्यनरायन हैं। स्व० हरिश्चन्द्र लावल्द फौत हुए। इस प्रकरण में अपीलार्थी और विपक्षी दोनों ने ही इस बात का उल्लेख किया कि हरिश्चन्द्र और उनके संबंध अच्छे थे। वादी ने इस संबंध में बताया कि समस्त संपत्ति एकजाई थी। मृतक परमेश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करते थे जिसका लाभ उठाकर परमेश्वर द्वारा मृतक के मृत्यु के पश्चात् वसीयत तहरीर की गयी। प्रतिवादी ने बताया कि हरिश्चन्द्र ने प्रतिवादी संख्या–3 व 4 की सेवा से खुश होकर प्रतिवादी नं०– 3 व 4 के हक में अपनी समस्त अचल संपत्ति वसीयतनामा कर दी। प्रतिवादी ने यह आधार लिया कि प्रतिवादी सं०–3 को मृतक ने पंपिंग सेट खरीदने के लिए, लिये गये लोन में अपना वारिस नियुक्त किया था, जिसका कर्जा हरिश्चन्द्र अपने जीवन काल में अदा नहीं कर पाये तो उसका कर्जा प्रतिवादी सं०–3 ने उनकी मृत्यु के बाद अदा किया। प्रतिवादी सं०–2 कपिलेश्वर जोकि सीताराम का भी पुत्र है उसने अपने उत्तरपत्र के माध्यम से परमेश्वर, चिन्तामणि व सूर्यनरायन के हक में हरिश्चन्द्र द्वारा वसीयत लिखने की बात से इन्कार किया तथा वादी की भांति यह बताया कि लिखा पढ़ी का कार्य प्रतिवादी सं०–2 करता था और पूरा परिवार हरिश्चन्द्र की सेवा में लगा रहता था। प्रतिवादी सं०–3 और 4 ने उनकी कभी कोई सेवा नहीं की, बल्कि वादी, प्रतिवादी सं०–1 व 2 मिलकर करते थे।

13. इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि मृतक हरिश्चन्द्र के परिवार में अपना कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं थी, बल्कि उसके दो भाई सीताराम और कालीप्रसाद तथा उनके पुत्र शामिल थे। प्रतिवादी सं०–3 व 4 जिनके हक में इस आधार पर कथित वसीयत लिखी गयी कि वे उसकी बहुत सेवा करते हैं, उस सम्बन्ध में यह स्पष्ट होता है कि वसीयत लिखने से पहले हरिश्चन्द्र ने अपनी सम्पत्ति को बेचने की इच्छा भी प्रतिवादी सं०– 3 व 4 से जाहिर की और प्रतिवादी सं०–3 व 4 ने, जो प्रतिवादी सं०–1 के पुत्र हैं जिसमें प्रतिवादी सं०–4 सूर्यनरायण उस समय नाबालिग भी था, सम्पत्ति को क्रय कर लिया। पत्रावली पर दाखिल किया गया बैनामा का०सं०–7ग दिनांकित 07.11.1977 जो पंजीकृत दस्तावेज है उसमें

इस बात का उल्लेख है कि हरिश्चन्द्र अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए चिन्तामणि बालिग व सूर्यनरायन नाबालिग जो पुत्रगण परमेश्वर प्रसाद हैं, उनके हक में बैनामा कर रहा है। वसीयत दिनांक– 20.04.1980 को की गयी है। प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी सं०– 3 व 4 ने हरिश्चन्द्र की सभी प्रकार की सेवायें सन् 1977 के बैनामा के पश्चात् प्रारम्भ की थी ? यदि पूर्व से इस प्रकार की सेवायें की जा रही थी और परिवार का अन्य कोई व्यक्ति उनकी सेवा नहीं करता था तो दिनांक–07.11.1977 को प्रतिवादी सं०–3 व 4 के हक में बैनामा किये जाने का क्या औचित्य था। वह अपनी समस्त सम्पत्ति को 3 व 4 के हक में वसीयत कर सकता था। यदि इतनी ही सेवा प्रतिवादी सं०–3 व 4 हरिश्चन्द्र की करते थे तो बिना उसकी सम्पत्ति का बैनामा कराये उसके खर्च व ईलाज के पैसे क्यों नहीं दिये।

14. वसीयत के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट हुआ कि वसीयत अपंजीकृत है, जबकि उसके तीन वर्ष पूर्व कराया गया बैनामा उन्हीं पक्षकारों के मध्य पंजीकृत कराया गया था। वसीयत को गांव अथवा घर पर नहीं लिखा गया है। वसीयत कचहरी नौगढ़ में अर्जी नवीस के द्वारा लिखाने का वर्णन है, परन्तु उसके पंजीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी है। वसीयत के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट हुआ है कि वसीयत की सत्यापित प्रति रेवेन्यू न्यायालय से लेकर दाखिल की गयी, परन्तु जब वसीयत को फर्जी होने के आधार पर चैलेंज किया गया था तो विपक्षी के लिए यह आवश्यक था कि वह वसीयत को विचारण न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत करता जिस पर मौजूद हस्ताक्षरों की जाँच के लिए विचारण न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया है कि वसीयत पर हरिश्चन्द्र के हस्ताक्षर न होने के तथ्य के सन्दर्भ में विशेषज्ञ की राय आहूत नहीं की गयी और न ही विशेषज्ञ साक्षी परीक्षित कराया। साथ ही यह भी अंकित किया कि वादग्रस्त वसीयत को पत्रावली पर लाने के लिये वादी ने कोई प्रयास नहीं किया।

15. परन्तु अपील के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वसीयत की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद है जिससे विशेषज्ञ जाँच करायी जा सकती है। इसे विधिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी दस्तावेज पर मूल हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में ही कोई विशेषज्ञ अपनी राय दे सकता है सत्यापित प्रति पर होने वाले हस्ताक्षर के सम्बन्ध में विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की जा सकती।

16. यदि यह माना जाये कि हरिश्चन्द्र के समस्त प्रकार के कार्य प्रतिवादी सं०–3 व 4 द्वारा किये जाते थे तो हरिश्चन्द्र, जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी उन्हें दिनांक 20.12.1977 को पंपिंग सेट हेतु कर्जा लेने की क्या आवश्यकता थी। यदि उनकी सारी जरूरतें उपरोक्त द्वारा पूरी की जा रही थी तो उन्होंने पंपिंग सेट के लिए लोन लेने और मरने के लगभग तीन साल की अवधि के मध्य उस कर्जे का भुगतान करने में सहयोग क्यों नहीं

किया। उनके मरने के बाद प्रतिवादी सं०–3 ने कर्जा अदा क्यों किया, जबकि प्रतिवादी सं०–3 को बैंक में उन्होने अपना वारिस नियुक्त किया था। यह तथ्य भी वसीयत को संदिग्ध बनाता है। वर्ष 1977 में बैनामा दिनांक– 07.11.1977 को कराया गया है बैनामा में धनराशि का उल्लेख 12 हजार रूपये का है। बैनामा लेने के डेढ़ माह के अन्दर पंपिंग सेट हेतु लोन लेने के तथ्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जिस व्यक्ति को 12 हजार रूपये एक–डेढ़ माह पूर्व प्राप्त हुआ हो, जो अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उक्त धनराशि लिया हो वह डेढ़ महीने के अन्दर पंपिंग सेट के लिए लोन क्यों लेगा और उसकी मृत्यु के पश्चात् जो लगभग तीन वर्ष में हुई है बैनामा लेने वाला व्यक्ति तथा पंपिंग सेट में वारिस बनने वाला व्यक्ति उसका लोन चुकाये, यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं है।

17. पत्रावली की साक्ष्य यह स्पष्ट करती है कि वर्ष 1977 तक यदि हरिश्चन्द्र केवल प्रतिवादी सं०–3 व 4 से ही सम्बद्ध होते तो न तो वे बैनामा अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, तीर्थ, कर्ज अदायगी के लिए उन्हीं व्यक्तियों से न कराते जिन्हें तीन वर्षों पश्चात् अपनी वसीयत की है। यदि बैनामा के बाद उनकी सेवा आदि प्रतिवादी ने प्रारम्भ की तो उन तीन वर्षों का वर्णन करना उन्हें आवश्यक था। वसीयत के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत दिनांक 24.04.1980 को की गयी है, जबकि उनकी मृत्यु उसके कुछ ही समय बाद हो गयी है।

18. वाद बिन्दु सं०–1– इस प्रकार मूल वसीयत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण न तो उसकी विशेषज्ञ जाँच हो पायी और न ही विचारण न्यायालय अथवा यह न्यायालय उस मूल वसीयत के सम्बन्ध में स्वयं कोई निष्कर्ष प्रस्तुत कर पाया। सत्य प्रतिलिपि वसीयत से उसकी विशेषज्ञ जाँच नहीं की जा सकती। वसीयत से लगभग 3 वर्ष पूर्व वसीयत ग्राह्यताओं के हक में ही अपनी भूमियों का 12,000/– रूपया धनराशि लेकर बैनामा करना भी विरोधाभासी है। 12,000/– रूपये धनराशि प्राप्त होने के लगभग डेढ़ माह पश्चात् पंपिंग सेट लगवाने के लिए बैंक से लोन लेना और इतनी सम्पत्ति होते हुए भी अपने जीवन काल में उसे न चुका पाना हरिश्चन्द्र और प्रतिवादी सं०–3 व 4 के मधुर सम्बन्धों का वर्णन नहीं करता है। इस कारण विचारण न्यायालय ने सत्यापित प्रतिलिपि वसीयत के सम्बन्ध में निष्कर्ष पारित करते समय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन नहीं किया है। इस कारण विवादित बिन्दु सं०–1 के सम्बन्ध में पारित निष्कर्ष पोषणीय नहीं है तथा खण्डित होने योग्य है।

19. वाद बिन्दु सं०–2– जहाँ तक पंजीकृत बैनामा दिनांक 07.11.1977 का प्रश्न है वह एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि विक्रेता को अपनी व्यक्तिगण आवश्यकताओं तथा ऋण आदि चुकाने के लिए धनराशि की आवश्यकता है।

प्रतिवादी सं०–3 व 4 उक्त धनराशि उसे प्रदत्त करने को तैयार हैं। अतः अपनी सम्पत्ति का विक्रय करके धनराशि प्राप्त की गयी। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा एक किता साबुत मूल दस्तावेज बैनामा 07.11.1977 दाखिल किया गया जिस पर हरिश्चन्द्र के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अतः इस सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा यह वर्णित किया गया कि वादी द्वारा विक्रय पत्र पर अंकित हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ राय आहूत नहीं की गयी। मूल दस्तावेज उपलब्ध होने के कारण विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष इस बिन्दु पर पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा अपने बैनामे को अपनी साक्ष्य द्वारा साबित भी किया गया है। वादी अपनी किसी साक्ष्य से पंजीकृत बैनामे के सम्बन्ध में कोई खण्डन कारी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। बैनामें के पंजीकरण और उसके निष्पादन में किसी कपट का होना साबित नहीं हुआ है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं०–2 के सम्बन्ध में पारित निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के अनुकूल है।

20. **वाद बिन्दु सं०–3** दावा वादी कालबाधित होने के सन्दर्भ में यह स्पष्ट हुआ है कि दिनांक– 07.11.1977 के बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही दिनांक 13.01.1982 को की गयी है, जो बैनामा किये जाने के काफी समय बाद की है और हरिश्चन्द्र की मृत्यु से कुछ समय पहले की है। इसी प्रकार वसीयत के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है उससे भी कालबाधिता साबित नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह उल्लिखित किया कि उक्त दस्तावेजों की जानकारी माह अक्टूबर सन् 1982 में होने का वादी ने जो वर्णन किया है उसका कोई निश्चित स्रोत दर्शित नहीं है और न ही ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य दर्शित की गयी है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जब सन् 1982 में ही बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो उससे पूर्व बैनामे की जानकारी होना सम्भव नहीं था इस कारण कालबाधिता के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष विधि के अनुरूप नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

21. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वसीयत दिनांक– 24.04.1980 के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, जबकि बैनामा दिनांक– 07.11.1977 के सन्दर्भ में पारित विचारण न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधि के अनुरूप है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय वसीयत के सम्बन्ध में निरस्त होने योग्य और बैनामे के सम्बन्ध में पुष्ट होने योग्य है। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

22. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पंजीकृत बैनामा दिनांक– 07.11.1977 के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुष्ट किया जाता है तथा

विवादित वसीयत दिनांक–24.04.1980 फर्जी विलेख होने के कारण शून्य घोषित की जाती है। जिसके आधार पर कोई भी अधिकार प्रतिवादी सं०–3 व 4 को मृतक हरिश्चन्द्र की सम्पत्ति में प्राप्त नहीं हो सकता।

23. अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

24. मूल वाद की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को वापस की जाये।

दिनांक–30.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code– UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–30.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code– UP 6336